भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1407

दिनांक 28/07/2026 को उत्तरार्थ

डिजिटल कनेक्टिविटी संबंधी पहल

†1407. श्री मणिक्कम टैगोर बी :

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या डिजिटल कनेक्टिविटी पहलों का पंचायतों तक विस्तार किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ग्रामीण-शहरी डिजिटल अंतर को पाटने में इसकी प्रभावकारिता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए केंद्रीय और राज्य अभिकरणों के बीच पर्याप्त समन्वय है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कार्यान्वयन में विलंब और अकुशलता के क्या कारण हैं;

(ग) क्या ग्रामीण पंचायतों को शहरों से जोड़ने के लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का विस्तार किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो ग्रामीण आबादी के लिए सीमित पहुंच के क्या कारण हैं;

(घ) क्या ग्रामीण कनेक्टिविटी परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो निजी निवेश के अवसरों के कम उपयोग के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने कनेक्टिविटी के अभाव वाली पंचायतों की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अवसंरचना के विकास में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए क्या लक्षित उपाय प्रस्तावित किए गए हैं?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) और (ख) पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) के तहत विभिन्न डिजिटल शासन पहलें शुरू की हैं। मंत्रालय ने पंचायतों द्वारा नियोजन, वित्तीय प्रबंधन, लेखांकन, लेखापरीक्षा, कार्यों की निगरानी और सेवा प्रदायगी को आसान बनाने के लिए ई-ग्रामस्वराज, ऑडिटऑनलाइन और एम-एक्शनसॉफ्ट जैसे डिजिटल ऐप विकसित किए हैं। मंत्रालय पंचायत शासन में कार्यक्षमता, पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार के लिए इन ऐप्स को लगातार बेहतर बनाता है और उन्हें सरकार के अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ता है।

डिजिटल शासन पहलों के कार्यान्वयन और एकीकरण के लिए मंत्रालय संबंधित राज्य सरकारों और अन्य मंत्रालयों/विभागों के समन्वय में कार्य करता है।

इसके अलावा, दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, भारतनेट परियोजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है ताकि देश भर की सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) को जोड़ने वाला ब्रॉडबैंड नेटवर्क बनाया जा सके। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) को भारतनेट की अवसंरचना को उपलब्ध कराया गया है ताकि ग्राम पंचायतों, ग्रामीण क्षेत्रों, सरकारी संस्थाओं, स्कूलों और अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए ब्रॉडबैंड सेवाओं का विस्तार हो सके। जून 2026 की स्थिति के अनुसार, भारतनेट के तहत 2,63,447 ग्राम पंचायतों/पारंपरिक स्थानीय निकायों (टीएलबी) को जोड़ने की योजना है, जिनमें से 2,21,780 ग्राम पंचायतों को हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने के लिए जोड़ा जा चुका है।

इसके अलावा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 04.08.2023 को संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी) को मंज़ूरी दी। इसका उद्देश्य मौजूदा भारतनेट फ़ेज़-I और फ़ेज़-II नेटवर्क को बेहतर बनाना, शेष ग्राम पंचायतों में नेटवर्क का निर्माण करना और दस वर्षों की अवधि के लिए नेटवर्क का संचालन और रखरखाव करना है।

(ग) से (ङ) सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का विकास और संचालन (जिसमें ग्रामीण इलाकों और शहरी केंद्रों के बीच कनेक्टिविटी शामिल है) तथा साथ ही कनेक्टिविटी से जुड़ी अवसंरचनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना, मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों और संबंधित मंत्रालयों/विभागों की ज़िम्मेदारी है। पंचायती राज मंत्रालय ग्रामीण पंचायतों को शहरों से जोड़ने वाली सार्वजनिक परिवहन सेवाओं या कनेक्टिविटी से जुड़ी अवसंरचनाओं के विस्तार के लिए विशेष रूप से कोई योजना लागू नहीं करता है। तदनुसार, इस मंत्रालय द्वारा ऐसी सेवाओं के विस्तार, ऐसी परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी और कनेक्टिविटी के अभाव वाली पंचायतों की पहचान से जुड़ी जानकारी का रखरखाव नहीं किया जाता है।
